

कार्यालय,  
सचिव, प्राधिकारिक शिक्षा परिषद्,  
उत्तर प्रदेश लोकालय।

लाख—प्राप्ति/परिषद् सम्बद्धा/२०२०/१७१

लोकालय दिनांक: १५-९-२०२०

—कार्यालय झाप—

अधिकारी उत्तरीय लोकालय किए परिषद् नई दिल्ली/जारी कार्यालय अधिकारी गहरे दिल्ली द्वारा दिनांक १५-९-२०२०-२१ द्वारा दिल्लीना संबंधित लोकालय कार्यालय को अनुग्रहात्मक प्रदान किए जाने के उपर्युक्त प्राधिकारिक विषय परिषद् उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड/सम्बद्धा विभाग प्रदान किए जाने हुए दिनांक १५-९-२०२० को अनुग्रहात्मक प्राधिकारिक विषय परिषद्, उत्तर प्रदेश की जारीता में परिषद् कार्यालय ने बेटक लापत्ति की। बेटक में लोकालय द्वारा २०२०-२१ के आधिकारी नई सालाहाओं को जारीहता/पूर्ण ने लोकालय संबद्धा की उत्तराखण्ड/सम्बद्धा/प्रदेश/प्रदेश कार्यालय की साथसाथी परिषद् बनाते हुए दिल्ली १५-९-२०२०-२१ द्वारा जारीहता/पूर्ण द्वारा लोकालय कार्यालय में परिषद् बनाते हुए दिल्ली द्वारा लोकालय कार्यालय में लोकालय की सम्भिति की जारीहता गया।

इस को जारीहता में सम्बद्धा समिति की बेटक के मद्देन्द्र मद्देन्द्र ने दिल्लीका इन योनीसी पाठ्यक्रम संवादित करने वाली पूर्ण के सम्बद्धा संस्थाओं का प्रमाण दिया गया। उत्तराखण्ड समिति इस गहरा विभाग-दिल्ली कर नियमानुसार नियमित जिया गया।—

दिल्ली शेष में उत्तराखण्ड विस्तोंभा इन पर्याप्त संवादित करने वाली चैरिबार्ट, प्रो प्राधिकारिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश लोकालय के पूर्व से रामबद्ध हैं। एवं जन्म २०२०-२१ द्वारा दिल्ली प्राधिकारिक द्वारा प्रदान किया गया है। इन सम्बद्धाओं में दिल्लीकार्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुसूचित विभाग के अनुसार जानकारी के साथ जन्म २०२०-२१ द्वारा परिषद् से सम्बद्धा विभाग प्रदान किया जाने एवं संवाचनात्मि के दिल्लीकार्यालय द्वारा प्रदान किया जाने पर समिति द्वारा विभाग-दिल्ली किया गया एवं संवाचनात्मि के दिल्लीकार्यालय से सम्बद्धा विभाग दिये गये का नियमित जिया गया।

दिनांक १५-९-२०२० को भारती उत्तराखण्ड लोकालय की बेटक में दिये गए उपरोक्त नियम के अनुहान में नियम इसका को प्राधिकारिक विषय पाठ्यक्रम या एवं सम्बद्धा द्वारा जन्म २०२०-२१ द्वारा नियमित लोकालय की अधिकारी जारीहता एवं दिल्ली द्वारा लोकालय द्वारा जारीहता गहरा लोकालय की जारीहती है।—

क्रम संख्या	उत्तराखण्ड का नाम	प्राप्त्यक्रम का नाम	प्राप्त्यक्रम का द्वारा दिया जाने हुआ नियमित प्रदान करना	प्राप्त्यक्रम का द्वारा दिया जाने हुआ नियमित प्रदान करना
१	३३९	उत्तराखण्ड युवादीन सम्बद्धा विभाग लोकालय प्रबन्ध।	दिल्लीका द्वारा नियमित	दिल्लीका द्वारा नियमित

सम्बद्धा द्वारा जारी

- ✓ सम्बद्धा युवादीन सम्बद्धा/दिल्लीकार्यालय द्वारा दिया गया जारीहता की योग्यता का दृष्टिकोण संवाचन करें।
- ✓ नवाच लोकालय प्रबन्ध प्राधिकारिक विषय परिषद् एवं उत्तर प्रदेश प्राधिकारिक विभाग विभागाधारी-२०१९ तथा उत्तर प्रदेश नियमों द्वारा जारीहता के अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें। यह सुलभ नियमित लोकालय प्रियोंका द्वारा दिया गया जारीहता की अनुग्रहात्मक करें।

*(Signature)*

- लाल भाषण कोता। जीव विद्यार्थी द्वारा यहि सज 2020-21 हेतु प्रीम का अनुसन्धान किया जाता है। तो पीस की नीतियां वे नहीं होती।
- ✓ सरका को (उपर विविध विद्या उपचारिता एवं उन समिक्षाओं, दरवाजों की समझ किया जाना) विनियमणीय-2003 की तरीं का अनुपालग करना होता।
  - ✓ सरका में राज्यव्यवस्था परिवर्तन द्वारा अवधिकारी व्यक्ति को ही प्रदेश विद्या प्राप्ति की विधि वे बदल देते जाते के लिए अनुसन्धान की चाही भी आवश्यकी नहीं जाती।
  - ✓ सरका को सभा-सभाएँ पर नियंत्रण जातीजाने के अनुसार नियोग एवं समवेत गुरुक जन्म करता होता।
  - ✓ संसद की अनुसन्धानिकोटीटी/प्रोफेसियली दो विधायी वायर हेतु अनुमोदन आठ विद्या विद्यालयों से।
  - ✓ संसद प्रदेश विद्या द्वारा बनाये जाने विद्या/नियमों/अधिकारों/वायावरों/नियमों एवं नियोग, प्राप्तिक विद्या ज्ञान, समुदाय प्राप्ति पर्याप्ति परिवर्तन उपर तथा विविध विद्या परिवर्तन विवरण द्वारा बनाये रखे नियमों, विविधों जारीजो नियंत्रण करते हैं विद्या जाता होता।
  - ✓ विज्ञान इन सामाजिक प्रवर्तनों को उत्तमर विद्या विद्यार्थी द्वारा विद्या के अनुसार बदली है तो इस बदले में जागरूत उत्तराधिकारी विद्या या होमा नाम विविध तरफ से किसी भी विधायी एवं संसदी रूप से उत्तराधिकारी होती है। प्राप्तिक विद्या परिवर्तन, राज्यव्यवस्था परिवर्तन, प्राप्तिक विद्या विद्यालय एवं प्राप्तिक विद्या विद्यालय उपर प्रदेश विद्या ज्ञान है तथा दायर वायर के संबद्ध में मा अनुपालग हाठ किसी प्रवाह की अनियुक्ति साथमें बदल विधि विद्या जाता है तो समस्या प्रविष्टि राजनीति जैसा ज्ञानी होती है।
  - ✓ विज्ञान इन सामाजिक प्रवर्तनों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा विद्या के अनुसार बदली है तो इस बदले में जागरूत उत्तराधिकारी विद्या या होमा नाम विविध तरफ से किसी भी विधायी एवं संसदी रूप से उत्तराधिकारी होती है। प्राप्तिक विद्या परिवर्तन, राज्यव्यवस्था परिवर्तन, प्राप्तिक विद्या विद्यालय एवं प्राप्तिक विद्या विद्यालय उपर प्रदेश विद्या ज्ञान है तथा दायर वायर के संबद्ध में मा अनुपालग हाठ किसी प्रवाह की अनियुक्ति साथमें बदल विधि विद्या जाता है तो समस्या प्रविष्टि राजनीति जैसा ज्ञानी होती है।
  - ✓ अन्तर प्रदेश राज्यव्यवस्था पर्याप्त हेतु विद्या नीतियां जारीजाने का अनुपालग करता अनुपालग होता।
  - ✓ सरका का अपने प्रबन्धालय पर उत्तमता की नमस्तुत्यालय विधायी विद्या की अनियुक्ति भूमिका, नियम, विधायी विद्या, अपनाराम, द्रावी विद्या जैसे बाल गुरुक अनुपालग गुरुक जारी का विद्यालय उपराख्यान करता होता।
  - ✓ सरका को विज्ञान-उत्तराधिकारी हेतु अनुपालग विद्यालय-उत्तराधिकारी जैसे जान विद्यालय जैसे विद्यालय ने समस्या अनुपालग उपराख्यान करती होती।
  - ✓ सरका एवं अनुसन्धान इन विद्या में अनुपालग/विविध प्रवर्तनों को घटाये जाने हेतु विद्यालय अनियुक्ति को सम्भव उपराख्यान करावे यहे उत्तराधिकारी विधायी-प्रदेश अधिकारी उपराख्यान इन्हाँदि वायर अधिकारी विधायी अन्य प्रवर्तनों के अनुपालग जैसे घटाया होता है और प्रदेश विधायी इन्हाँकी जानकारी होती है कि सरका उपराख्यान का अनुपालग विद्या अन्य विधायी विद्या हो तो अन्याना सरका वी सम्बद्धता समाप्त विद्या जाने जी अनुपालग वी जानेती।
  - ✓ समझदृष्टि का अनुपालग ने किंई जान विधायी विद्या विद्यालय विद्या जाने जी विधिवाले लिए अनुपालग विद्यालय-उत्तराधिकारी जानेती।

(मा अनुपालग विद्या  
विधिवाल)

पु0060-- प्राप्तिक/प्रदेश विद्यालय/2020/ 1072-3141

एवं दिनांक: 15-09-2020

प्राप्तिक-प्राप्तिक/विद्यालय, एहुलवान गुहावटीन राज्यव्यवस्था विद्यालय संस्थान, प्रभारी-लिंगपुर।

(मा अनुपालग विद्या  
विधिवाल)

*Ch.*

## कार्यालय,

लखिया, प्राविधिक शिक्षा परिषद्।

उत्तर प्रदेश उच्चकानून।

संख्या- प्राविधिक परिषद समझौता/2021/3537

तिथि/दिनांक: 09/08/2021

: कार्यालय आप:-

अधिकृत भास्तुओं तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली वार्डों की काउन्सिल और हाईकोर्ट, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक साल 2021-22 हेतु डिपोला द्वारा प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश समझौता समझौता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक, 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में समझौता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा साल 2021-22 में हुए आवेदित नई संस्थाओं को समझौता पूर्व से संबोधित संस्थाओं को समझौता विस्तार प्राविधिक शिक्षा क्षमता दीड़े साहेत अन्य मर्दी पर विचार करते हुए साल 2021-22 हेतु समझौता समझौता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

समझौता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ऊपरी संस्थानक द्वारा साल 2021-22 हेतु नियमित रूपों के जारी प्राविधिक एवं उसमें अकिञ्चन प्रवेश क्षमता हेतु समझौता विस्तार प्राप्त हो जाती है।

**संस्था का कोड एवं नाम : 3376-PAHALWAN GURUDEEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,LALITPUR**

क्रांति	पाठ्यक्रम का नाम	ए-आईएसीटीडीएडी	परिषद द्वारा साल 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### समझौता हेतु चर्चा

- ✓ संस्था ए-आईएसीटीडीएडीपीजीएडी द्वारा नियमित की गई सभी जर्ती का पूर्णतः प्राप्त करती है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकाली 1992, सेमेस्टर विनियमकाली-2010 द्वारा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपस्थित करेगी तथा एक्सा नियमित चुनक तौर पर वार्षिक यात्राक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- भवितव्य, दो वार्षिक कार्यस्थी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक रुपा दो जारी पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्यस्थी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष चुनक ही प्रत्येक लाख रुपये से अधिक किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त जारीकरण के सुनक के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियमित किये जाने वाले वास्तविक अधिकारी होंगे, और उन्नुचार कार्यालयी किया जाना अवश्यक होगा। पीछे नियमित द्वारा पहिं साल 2021-22 हेतु पीछे का पुनर्नियमक किया जाता है, तो पीछे यही नवीनीकरण दर्शाया जाएगा।
- ✓ संस्था को उत्तर प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा तथा उप संस्थाओं संस्थाओं को समझौता किया जाना नियमितकाली-2000 द्वारा जर्ती का अनुपस्थित करना होगा।
- ✓ संस्था में संचुक प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जर्ती को ही प्रत्येक दिना जारीकरा। जीटो के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वास्तव के नियमित अनुसार ही प्रतेक जीटो की कार्यालयी की जायेगी।
- ✓ संस्था को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियमित दिनांक पर नियमित वास्तव के अनुसार नियमित एवं समझौता चुनक जारी करना होगा।

- ✓ संस्था को एआईटीटीएसीआई० सी०आई० से जागती सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश जास्त द्वारा बनाये गये विधिनियमों/आधिनियमों/जास्तनामों/नियमों एवं नियोगक, प्राविधिक विधि, उपचार, चंडूक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपचार तथा प्राविधिक विधि परिषद, उपचार द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, नियोगों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक विधि परिषद, संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक विधि नियोगालय एवं प्राविधिक विधि विभाग उत्तर प्रदेश जास्त को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मान्यता स्वाक्षरता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुस्ति संभाली आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपुस्ति संबोधित संस्था को कारनी डॉगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश गणनाक द्वारा प्रत्येक दर्जे के लिए आव्योगित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्तनिसितिंग अवधि होने के पूर्व पीएसीआई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कानूनीतय को उपलब्ध कराना होगा जबकि उन्हें प्रवेश की (कार्तनिसितिंग के माध्यम से अपवा संस्था स्वार पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने देहजाइट पर लंबा की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था वार्षिकानिक पृष्ठे भूमि, इण्डर, भाज-सुप्ली उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शूल्क, छात्रावास शूल्क आदि वा विवारण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ संगीय रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाही।
- ✓ संस्था अह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को बताये जाने हेतु निरीक्षण समिति के रमण उपलब्ध कराये गये अभियंत्र, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है भीर परिषद को इसकी ज्ञानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तबकाल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासन की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दीरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साल-सञ्चालन-प्राईवेसीप्राईवेसीआईपरिषद के भानकानुसार उपलब्ध नहीं माया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वालों का अनुपालन न किये जाने अपवा वालों का उल्लंघन किये जाने की विधि में नियमानुसार अनुसासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनीत कुमार सोनकर)

संचित

पृष्ठां- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतीक्षित-

प्रधनाचार्य/नियोगक, PAHALWAN GURUDEEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,LALITPUR

(सुनीत कुमार सोनकर)

संचित

## कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**संख्या:- प्राशिप/परिषद् सम्बद्धता/2022/7817**

**लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022**

### कार्यालय जापनः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु छिप्लोग्रा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संवालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता दृष्टि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नियमित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकिञ्चन प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 3378-PAHALWAN GURUDEEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

**क्र०सं० पाठ्यक्रम का नाम**

**ए०आई०सी०टी०ई०/ परिषद् द्वारा  
पी०सी०आई० द्वारा सत्र सत्र 2022-23  
2022-23 हेतु अनुमोदित हेतु अनुमोदित  
प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता**

**1 DIPLOMA IN PHARMACY**

**60 60**

### **सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा नियारित की गयी सभी छर्ता का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशी

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुधातन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

*[Signature]*  
(एफ०आर० खान)

सचिव

पृ०स०- प्राप्तिपद/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PAHALWAN GURUDEEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*[Signature]*  
(एफ०आर० खान)

सचिव